कार्यालय प्रमुख अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यॉत्रिकी विभाग,
जल भवन बाणगंगा भोपाल

क्रमांक 9556/प्र.अ./विधि (स्टेनो)/लो.स्वा.यां.वि./2024 भोपाल, दिनांक 10/10/2024

प्रति,

1. समस्त मुख्य अभियंता,
   लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
   परिक्षेत्र भोपाल/इंदौर/ग्वालियर
   जबलपुर/वि.यां. परिक्षेत्र भोपाल
2. समस्त अधीक्षण यंत्री,
   लोक स्वास्थय यांत्रिकी
   मंडल.................................
3. समस्त कार्यपालन यंत्री,
   लोक स्वास्थय यांत्रिकी
   खंड.....................................

विषयः—**अवमानना याचिकाओं के निपटारे से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें।**

संदर्भः—विभागीय बेवसाइट पर "विधिक मार्गदर्शन" के अंतर्गत आइटम नंबर 56 पर उपलब्ध विषय सामग्री।

—0—

उपरोक्त विषयांतर्गत कृपया संदर्भित विषय सामग्री का गंभीरतापूर्वक अवलोकन करने का कष्ट करें।

यह पाया गया है कि अवमानना याचिकाओं के संबंध में, विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को स्पष्ट और यर्थाथपूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं होने के कारण तथा शासकीय अधिवक्ताओं के स्तर से भी इनका समुचित प्रतिरक्षण नहीं हो पाने के कारण, अनेकों प्रकरण में विभाग को नियमों और प्रकियाओं के विपरीत जाकर कार्यवाही करनी पड़ती है, जो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायदृष्टांतों के अनुसार आवश्यक नहीं है।

विभाग की विधि शाखा द्वारा इस संबंध में एक विस्तृत नोट, माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायदृष्टांतों और **"द कटेम्प्ट ऑफ कोर्टस एक्स 1971"** के प्रावधानों के आधार पर तैयार कर आपके सुलभ संदर्भ हेतु आयटम नंबर 56 पर उपलब्ध कराया गया है। इसमें यह बताया गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अलग—अलग प्रकार के निर्णयों के विरूद्ध दायर होने वाले अवमानना प्रकरणों में, माननीय उच्च न्यायालय को किस प्रकार से कार्यवाही करना अभिनिर्धारित किया गया है।

वर्तमान में मुख्य रूप से विभाग "अभ्यावेदन निराकरण करने" एवं "Consider and decide" संबंधी आदेशों के विरूद्ध दायर होने वाली अवमानना याचिकाओं में शासकीय अधिवक्ता के स्तर से किये जाने वाले प्रतिरक्षण में सुधार की आवश्यकता महसूस कर रहा है,

जबकि बाध्यकारी प्रकृति के आदेशों के विरूद्ध भी प्रतिरक्षण में सुधार की आवश्यकता है। यह भी पाया गया है कि "कटेम्प्ट ऑफ कोर्टस एक्स 1971" में किसी भी अवमानना याचिका के दायर होने की समय–सीमा आदेश की अवमानना प्रारंभ होने के दिनांक के बाद से अधिकतम 01 वर्ष तक है, किन्तु वर्तमान में कई अवमानना याचिकायें 02–05 वर्ष उपरांत भी दायर हो रही हैं तथा विभाग की ओर से इस संबंध में माननीय न्यायालय के समक्ष लिमिटेशन अथवा समय–सीमा से संबंधित कोई पक्ष ही प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके परिक्षेत्र, मंडल अथवा खंड के अधीनस्थ वर्तमान में विचाराधीन और भविष्य में दायर होने वाली अवमानना याचिकाओं में प्रतिरक्षण के पूर्व विभाग की ओर से उपलब्ध कराई गई, इस जानकारी को अनिवार्य रूप से शासकीय अधिवक्ता के संज्ञान में लाये तथा प्रकरणों का प्रभावी प्रतिरक्षण सुनिनिश्चित करें ताकि अवमानना प्रकरणों में अनावश्यक रूप से विषम परिस्थितियॉं उत्पन्न ना हो सकें।

9.10.2024

प्रमुख अभियंता

पृ.क्रमांक 9556 / विधि(स्टेनो) / प्र.अ. / लोस्वायांवि. / 2024 भोपाल, दिनांक 10/10/2024

प्रतिलिपी :—

सचिव,म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

9.10.2024

प्रमुख अभियंता

seema24